

# कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / आब. / ठेका / 2024 / 861

सारंगढ़, दिनांक 30 / 09 / 2024

मैं धर्मेश कुमार साहू, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.) कार्यालय आबकारी आयुक्त, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के निर्देश क्रमांक / आब / ठेका / 2024 / 1403 नवा रायपुर दिनांक 13.03.2024 के कांडिका क्रमांक 16.1 में दिनांक 02 अक्टूबर 2024 (बुधवार) को “गांधी जयंती” के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, आदि जैसे एफ.एल.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ—कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग—अहाता), सी.एस.2 (ग—कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख—अहाता) को दिनांक 02 अक्टूबर 2024 (कुल 01 दिवस) को संपूर्ण दिवस के लिये सीलबंद किया जाये तथा मदिरा के विक्रय/विनिर्माण/संग्रहण/धारण/परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

(धर्मेश कुमार साहू)  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़  
(छत्तीसगढ़)

क्रमांक / आब. / ठेका / 2024 / 861-A

सारंगढ़, दिनांक 30 / 09 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग, मंत्रालय, अटल नगर (छ.ग.)।
2. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ओर सूचनार्थ।।
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.एम.सी.एल. छ.ग. रायपुर ओर सूचनार्थ।।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक, सी.एस.बी.सी. बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।।
7. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़/बिलाईगढ़/बरमकेला की ओर सूचनार्थ।।
9. सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।।
10. सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल—सारंगढ़/बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ।।
11. मद्यभण्डारण—भाण्डागार अधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।।
12. आबकारी वृत्त प्रभारी, वृत्त—सारंगढ़/कोसीर/बिलाईगढ़/सरसीवां/बरमकेला/सरिया की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि घोषित शुष्क अवधि में प्रभार क्षेत्र की समस्त देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, आदि जैसे एफ.एल.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ—कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग—अहाता), सी.एस.2 (ग—कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख—अहाता) को निर्धारित समय के पश्चात् पूर्णतः सीलबंद करें तथा घोषित शुष्क दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में संघन गस्त कर यह सुनिश्चित करें कि प्रभार क्षेत्र में कही भी मदिरा का विक्रय/विनिर्माण/संग्रहण/धारण /परिवहन न हो पावे।

13. प्लेसमेंट एजेंसी एस.आई.एस. कैश सर्विसेस प्रा. लिमि. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. प्लेसमेंट एजेंसी सुरक्षा गार्ड बी.आई.एस. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
15. कैश कलेक्शन एजेंसी सी.एम.एस, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
16. समस्त मुख्य विक्रयकर्ता, देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकान, जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़  
(छत्तीसगढ़)